मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के विजन को मिली गति

हरियाणा सेवा अधिकार आयोग ने एचएसवीपी की 53 सेवाओं को अधिसूचित करने की सिफारिश की

● आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता बोले, इस संबंध में 36वीं बैठक में लिया गया निर्णय

चंडीगढ़, 6 जुलाई (सवेरा ब्यूरो) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सेवा अधिकार आयोग ने सरकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की है। साथ ही विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा को भी तर्कसंगत बनाने को कहा है। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि 5 जुलाई को हुई 36वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में आयोग द्वारा मई और जून माह के दौरान किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई। आयोग के ध्यान में आया है कि एचएसवीपी द्वारा इस समय 16 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। हालांकि इसकी वेबसाइट पर 53 सेवाएं दर्शाई गई हैं। आयोग ने सरकार से इन सभी 53 सेवाओं को अधिसूचित करने की सिफारिश की है। सेवाओं के लिए अधिसूचित समयसीमा को भी तर्कसंगत बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह समयसीमा उस दौर की है, जब सेवाएं मैनुअल तरीके से प्रदान की जाती थी। परंतु अब सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। ऐसे में इसे भी व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

टी.सी. गुप्ता

सेवाएं आमजन को निर्धारित समय में मिलें

उन्होंने भवन नक्शे की स्वीकृति का उदाहरण देते हुए बताया कि बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के लिए 30 दिन की समयसीमा अधिसूचित की गई है। परंतु आवासीय भवनों के मामले में एचएसवीपी की वेबसाइट पर यह केवल 3 दिन दर्शाई गई है। मुख्य आयुक्त ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करने का काम करेगा कि विभिन्न विभागों द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं आमजन को निर्धारित समयसीमा के अंदर ही मिलें। इसको भी व्यावहारिक बनाया जाएगा। अधिनियम के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। आयोग के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक अधिनियम के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या को 551 से बढ़ाकर एक हजार किया जाएगा। आयोग न केवल समय पर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करेगा बल्कि इस बारे आमजन को जागरूक भी किया जाएगा ताकि वे अपने अधिकारों को जानें, उनके प्रति सजग रहें और उनकी मांग कर सकें।